कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट joda.rajasthan.gov.in Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांकः एफ.37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2024/514 दिनांकः– 14/02/2024

–:कार्यवाही विवरणः–

जोन–3 की भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 01/2024 वीं बैठक दिनांक 13.02.2024 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क. सं.	जोन	प्रकरणों का विवरण	निर्णय
		भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 12/2023 वीं बैठक दिनांक 14.12.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	**समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरांत सर्व–सम्मति से गत बैठक दिनांक 14.12.2023 में लिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।**
1.	जोन–3	**राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 46, 46/1 में स्थित भूखण्ड संख्या 11 में वाणिज्यिक (Multiplex) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।** **आवेदकः– श्री सुनिल भण्डारी एच.यू.एफ जरिये श्री सुनिल भण्डारी पुत्र श्री धनपत राज भण्डारी** भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 01/2024 वीं बैठक दिनांक 13.02.2024	**समिति को अवगत करवाया गया किः–** 01. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 व 14.09.2023 के कम में नियमानुसार फायर सेस जमा करवाया जाना अपेक्षित है। साथ ही प्रस्तावित भवन पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.09.2023 अनुसार अग्निसुरक्षा के प्रावधान किये जाने हेतु प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जाना अपेक्षित है। 02. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र अपेक्षित है कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 12.1 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 03. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा जमा करवाया जाना अपेक्षित है। 04. नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 12.04 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की सुनिश्चितता किये जाने हेतु शपथ पत्र लिया जाना अपेक्षित है। 05. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.2.2 (ग) के अनुसार सिनेमा/मल्टीप्लेक्स/मिनीप्लेक्स का निर्माण "राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1952" एवं "राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) नियम, 1959" के तहत किया जाना अपेक्षित है जिसमें उल्लेखित प्रावधानों की सुनिश्चितता हेतु शपथ पत्र लिया जाना अपेक्षित है। 06. भू–जल विभाग से बेसमेंट निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। 07. आवेदक द्वारा बिना स्वीकृति किए गए निर्माण के संबंध में शास्ति लिया जाना अपेक्षित है। 08. चैकलिस्ट के बिन्दु संख्या 13 के कम में एयरफोर्स विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

			09. भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व नेशनल बिल्डिंग कोड अनुसार भूकम्प रोधी प्रावधानों की सुनिश्चितता हेतु शपथ पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। 10. आवेदक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में लेवल, सीढियों की चौडाई, रेम्प की ढाल इत्यादि का अंकन व अन्य आंशिक संशोधन करते हुए कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित है। **समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया–** 01. भवन मानचित्र अनुज्ञा की अवधि पट्टा विलेख जारी किए जाने की दिनांक से 07 वर्ष अर्थात् दिनांक 28.09.2030 तक रहेगी। 02. भू–जल विभाग से बेसमेंट निर्माण हेतु अनापत्ति प्राप्त की जावें। 03. आवेदित भूखण्ड हेतु एयरफोर्स विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जाकर तदानुसार ऊँचाई के मानचित्र जारी किये जावें एवं अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों की पूर्ण पालना आवेदक द्वारा की जावें। 04. प्रस्तावित पार्किंग के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन विनियम–2020 के अनुसार आवेदक से शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग ली जावें। 05. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.09.2023 अनुसार प्रस्तावित भवन में विकासकर्ता द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जावें एवं अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावें। उपरोक्त के संबंध में विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावें। 06. भूखण्ड का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर से अधिक होने के कारण अपशिष्ट जल का शुद्विकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियम–2020 के प्रावधान संख्या 10.11.2 के अनुसार भूखण्ड़ पर प्रावधान किये जावें। उपरोक्त के संबंध में विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावें। 07. भवन में N.B.C. के अनुसार आकाशीय बिजली से बचाव हेतु प्रावधान किया जावें एवं इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जावें। 08. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.2.2 (ग) के अनुसार सिनेमा/मल्टीप्लेक्स/मिनीप्लेक्स का निर्माण "राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1952" एवं "राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) नियम, 1959" के तहत किया जावें। उक्त की सुनिश्चितता हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 09. भवन विनियम–2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता किये जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावें।

			10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें, इस आशय का शपथ पत्र लिया जावें। 11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम–2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की सुनिश्चितता किये जाने हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 12. भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व नेशनल बिल्डिंग कोड अनुसार भूकम्प रोधी प्रावधानों की सुनिश्चितता हेतु शपथ पत्र प्राप्त किया जावें। 13. प्रस्तावित भवन में अग्निसुरक्षा संबंधित प्रावधान यथा अग्निसुरक्षा हेतु सीढियॉ, प्रवेश/निकास इत्यादि की सुनिश्चितता की जावें। 14. नियमानुसार देय अग्निशमन शुल्क हेतु राज्य स्तरीय बैंक खाता संख्या 919010091350994, Axis Bank, Branch C-scheme, IFSC Code-UTIBOCCH274 में संस्था द्वारा जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावें। 15. विकासकर्ता द्वारा लेबर सेस की राशि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नविवि/2020 दिनांक 29.11.2022 के अनुसार निर्माण लागत की 1 प्रतिशत की राशि श्रम विभाग में जमा करवाकर चालान/रसीद की प्रति ली जावें। 16. आवेदक से लेवल, सीढियों की चौडाई, रेम्प की ढाल इत्यादि का अंकन व अन्य आंशिक संशोधन करवाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किए जावें। 17. नियमानुसार अन्य शुल्क यथा निर्माण शास्ति इत्यादि लिया जावें। उपरोक्त सभी बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।
2.	जोन–3	**राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 62 में स्थित भूखण्ड संख्या 12 में व्यवसायिक (Convenient Shops) प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।** **मैसर्स सुनिल डवलपर्स एण्ड बिल्डर्स भागीदार श्री सुनिल भण्डारी पुत्र श्री धनपतराज भण्डारी** **भवन मानचित्र अनुमोदन समिति**	**समिति को अवगत करवाया गया कि:–** 01. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 व 14.09.2023 के कम में नियमानुसार फायर सेस जमा करवाया जाना अपेक्षित है। साथ ही प्रस्तावित भवन पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.09.2023 अनुसार अग्निसुरक्षा के प्रावधान किये जाने हेतु प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जाना अपेक्षित है। 02. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र अपेक्षित है कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 12.1 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 03. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा जमा करवाया जाना अपेक्षित है। 04. भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व नेशनल बिल्डिंग कोड अनुसार भूकम्प रोधी प्रावधानों की सुनिश्चितता हेतु शपथ पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

		(बिल्डिंग प्लान) की 01/2024 वीं बैठक दिनांक 13.02.2024	05. आवेदक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में व्यवसायिक (Convenient Shops) हेतु निर्धारित मापदण्डों अनुसार भवन में केवल भू–तल व एक मंजिल तक अनुज्ञेय किया जाना अपेक्षित है। साथ ही लेवल, सीढियों की चौडाई, रेम्प की ढाल इत्यादि का अंकन व अन्य आंशिक संशोधन करते हुए कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित है। 06. नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 12.04 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की सुनिश्चितता किये जाने हेतु शपथ पत्र लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया–** 01. भवन मानचित्र अनुज्ञा की अवधि पट्टा विलेख जारी किए जाने की दिनांक से 07 वर्ष अर्थात् दिनांक 28.09.2030 तक रहेगी। 02. प्रस्तावित पार्किंग के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन विनियम–2020 के अनुसार आवेदक से शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग ली जावें। 03. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.09.2023 अनुसार प्रस्तावित भवन में विकासकर्ता द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्ड़ों की अनुपालना सुनिश्चित की जावें एवं अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावें। उपरोक्त के संबंध में विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावें। 04. भूखण्ड़ का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर से अधिक होने के कारण अपशिष्ट जल का शुद्विकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियम–2020 के प्रावधान संख्या 10.11.2 के अनुसार भूखण्ड़ पर प्रावधान किये जावें। उपरोक्त के संबंध में विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावें। 05. भवन में N.B.C. के अनुसार आकाशीय बिजली से बचाव हेतु प्रावधान किया जावें एवं इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जावें। 06. भवन विनियम–2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता किये जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावें। 07. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें, इस आशय का शपथ पत्र लिया जावें।

			08. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम–2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की सुनिश्चितता किये जाने हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 09. भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व नेशनल बिल्डिंग कोड अनुसार भूकम्प रोधी प्रावधानों की सुनिश्चितता हेतु शपथ पत्र प्राप्त किया जावें। 10. प्रस्तावित भवन में अग्निसुरक्षा संबंधित प्रावधान यथा अग्निसुरक्षा हेतु सीढियॉ, प्रवेश/निकास इत्यादि की सुनिश्चितता की जावें। 11. नियमानुसार देय अग्निशमन शुल्क हेतु राज्य स्तरीय बैंक खाता संख्या 919010091350994, Axis Bank, Branch C-scheme, IFSC Code-UTIBOCCH274 में संस्था द्वारा जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावें। 12. विकासकर्ता द्वारा लेबर सेस की राशि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नविवि/2020 दिनांक 29.11.2022 के अनुसार निर्माण लागत की 1 प्रतिशत की राशि श्रम विभाग में जमा करवाकर चालान/रसीद की प्रति ली जावें। 13. नियमानुसार अन्य शुल्क लिया जावें। 14. आवेदक को पट्टा विलेख में उल्लेखित उपयोग (Convenient Shops) अनुसार नियमानुसार भूतल+एक मंजिल हेतु संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुए जारी किये जावें। साथ ही लेवल, सीढियों की चौडाई, रेम्प की ढाल इत्यादि का अंकन व अन्य आंशिक संशोधन करते हुए कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किए जावें। उपरोक्त सभी बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।
3.		**राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 555/3 मीन, 555/4 मीन एवं 555/5 मीन में स्थित वाणिज्यिक (मार्ट/रिटेल मार्ट) एकल भूखण्ड के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।** **आवेदकः– श्रीमती शान्ति बाहेती पत्नी श्री श्याम बाहेती, श्रीमती सुनीता बाहेती पत्नी श्री जयकिशन बाहेती, श्रीमती शशि बाहेती पत्नी श्री महेश बाहेती**	**समिति को अवगत करवाया गया किः–** 01. प्रकरण को पूर्व में बी.पी.सी (बी.पी) की बैठक दिनांक 14.12.2023 में निर्णयार्थ रखा जाकर सशर्त अनुमोदित किए जाने का निर्णय लिया गया। 02. प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.02.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने का उल्लेख करते हुए सडक के मध्य बिन्दु से 75 मीटर दूरी छोडते हुए संशोधित भवन मानचित्र प्रस्तुत कर अनुमोदन करने हेतु निवेदन किया गया है। 03. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 व 14.09.2023 के कम में नियमानुसार फायर सेस जमा करवाया जाना अपेक्षित है। साथ ही प्रस्तावित भवन पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.09.2023 अनुसार अग्निसुरक्षा के प्रावधान किये जाने हेतु प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जाना अपेक्षित है। 04. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र अपेक्षित है कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 12.1 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।

		भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 01/2024 वीं बैठक दिनांक 13.02.2024	05. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा जमा करवाया जाना अपेक्षित है। 06. नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 12.04 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की सुनिश्चितता किये जाने हेतु शपथ पत्र लिया जाना अपेक्षित है। 07. भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व नेशनल बिल्डिंग कोड अनुसार भूकम्प रोधी प्रावधानों की सुनिश्चितता हेतु शपथ पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। 08. भू–जल विभाग से बेसमेंट निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। 09. आवेदक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में लेवल, सीढियों की चौडाई, रेम्प की ढाल इत्यादि का अंकन व अन्य आंशिक संशोधन करते हुए कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित है। **समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में प्रार्थी के स्वयं के प्रस्तावानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य रेखा से 75 मीटर दूरी पर भवन प्रस्तावित करते हुए प्रस्तुत संशोधित मानचित्र को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया–** 01. भवन मानचित्र अनुज्ञा की अवधि पट्टा विलेख जारी किए जाने की दिनांक से 07 वर्ष अर्थात् दिनांक 09.10.2030 तक रहेगी। 02. भू–जल विभाग से बेसमेंट निर्माण हेतु अनापत्ति प्राप्त की जावें। 03. आवेदित भूखण्ड हेतु एयरफोर्स विभाग द्वारा जारी अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों की पूर्ण पालना आवेदक द्वारा की जावें। 04. प्रस्तावित पार्किंग के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन विनियम–2020 के अनुसार आवेदक से शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग ली जावें। 05. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.09.2023 अनुसार प्रस्तावित भवन में विकासकर्ता द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्ड़ों की अनुपालना सुनिश्चित की जावें एवं अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावें। उपरोक्त के संबंध में विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावें। 06. भूखण्ड़ का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर से अधिक होने के कारण अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियम–2020 के प्रावधान संख्या 10.11.2 के अनुसार भूखण्ड़ पर प्रावधान किये जावें। उपरोक्त के संबंध में विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावें।

			07. भवन में N.B.C. के अनुसार आकाशीय बिजली से बचाव हेतु प्रावधान किया जावें एवं इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जावें। 08. भवन विनियम–2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता किये जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावें। 09. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें, इस आशय का शपथ पत्र लिया जावें। 10. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम–2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की सुनिश्चितता किये जाने हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 11. भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व नेशनल बिल्डिंग कोड अनुसार भूकम्प रोधी प्रावधानों की सुनिश्चितता हेतु शपथ पत्र प्राप्त किया जावें। 12. प्रस्तावित भवन में अग्निसुरक्षा संबंधित प्रावधान यथा अग्निसुरक्षा हेतु सीढियॉ, प्रवेश/निकास इत्यादि की सुनिश्चितता की जावें। 13. नियमानुसार देय अग्निशमन शुल्क हेतु राज्य स्तरीय बैंक खाता संख्या 919010091350994, Axis Bank, Branch C-scheme, IFSC Code-UTIBOCCH274 में संस्था द्वारा जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावें। 14. विकासकर्ता द्वारा लेबर सेस की राशि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नविवि/2020 दिनांक 29.11.2022 के अनुसार निर्माण लागत की 1 प्रतिशत की राशि श्रम विभाग में जमा करवाकर चालान/रसीद की प्रति ली जावें। 15. आवेदक से लेवल, सीढियों की चौडाई, रेम्प की ढाल इत्यादि का अंकन व अन्य आंशिक संशोधन करवाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किए जावें। 16. नियमानुसार अन्य शुल्क लिया जावें। उपरोक्त सभी बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।

उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)

क्रमांकः एफ.37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2024/ 515-19 दिनांक:– 14/02/24

प्रतिलिपी :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (जोन–3), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि बैठक कार्यवाही विवरण को जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)

परिशिष्ट–"1"

जोन–3 की भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 01/2024 वीं बैठक दिनांक 13.02.2024 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ. हरीतिमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्री श्रवण सिंह राजावत, उपायुक्त (जोन–3) जो.वि.प्रा. जोधपुर	सदस्य
6.	श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव
7.	प्रियंका चौपडा, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	

उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)